परिपत्र संख्या-डीजी-32 /2017

सुलखान सिंह,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 07 ,2017

विषयः महिलाओं के प्रति घटित अपराधो में प्रदर्श (Exhibits) को क्षेत्राधिकारी द्वारा अत्यंत विलम्ब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाने विषयक आवश्यक दिशा-निर्देश।

....

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि महिलाओं के प्रति घटित अपराधो की विवेचनात्मक कार्यवाही में विवेचको द्वारा की जाने वाली विवेचना मौखिक साक्ष्यों, भौतिक साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों (जैविक साक्ष्य) पर आधारित रहती है किन्तु देखने में आ रहा है कि विवेचना में भौतिक साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों पर समुचित ध्यान नही दिया जाता है। मौखिक साक्ष्य पर आधारित विवेचना से सम्बन्धित अभियोग का न्यायालय में विचारण होने पर अपराधी का दोष अकाट्य रूप से सिद्ध कर पाना कठिन होता है।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति घटित अपराधो में भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य सम्बन्धी प्रदर्श (Exhibits) क्षेत्राधिकारी द्वारा अत्यंत विलम्ब से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित किये जा रहे हैं। कभी-कभी कुछ सप्ताह और कई महीने तक विलम्ब हो जाता है। यह स्थिति अच्छी नही है। महिलाओं के प्रति घटित अपराधो में संवेदनशीलता के दृष्टिगत ऐसे प्रकरणो में जैविक साक्ष्य और अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के बाद प्रदर्श को शीघ्रातिशीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर देना चाहिए। प्रदर्श का शीघ्रता से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को न प्रेषित किये जाने से जहॉ एक ओर ऐसे प्रकरणो में साक्ष्य के नष्ट होने की संभावनाए रहती है वहीं न्याय प्रक्रिया में भी अत्यंत विलम्ब हो जाता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों, विवेचकों तथा कर्मचारियों को भली-भॉति निर्देशित कर दें कि महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों में जैविक साक्ष्यों/भौतिक साक्ष्यों सम्बन्धी एकत्रित प्रदर्श को शीघ्रता से नियमानुसार मय सुरक्षित सीलड कवर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित करें। यदि इस कार्य में किसी भी स्तर पर विलम्ब होता है तो उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद/रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
2) अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
3) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
4) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।